भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1075

09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना

1075 श्री रवंगवरा नारजारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने देश के छठी अनुसूची क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय किए हैं;

(ख) सिकल सेल, रक्ताल्पता, कुपोषण, मलेरिया जैसे संचारी रोगों के उच्च प्रसार पर विशेष ध्यान देने के साथ, छठी अनुसूची के क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव क्या है;

(ग) यदि हां, तो छठी अनुसूची के राज्यों में तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें छठी अनुसूची के क्षेत्र भी शामिल हैं। यह सहायता राज्यों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में रखी गई आवश्यकताओं पर आधारित है।

इन आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में रूपांतरण।
- **मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू):** दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए एमएमयू की तैनाती।

- **मानव संसाधन:** दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में सेवा दे रहे स्वास्थ्य सेवा-प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **आशा कार्यकर्ता:** समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की भागीदारी।

(ख): मंत्रालय इन क्षेत्रों में प्रचलित विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है:

- **सिकल सेल रोग:** प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में रोगियों की जांच और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। रोग की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर जांच की जाती है।
- **कुपोषण और एनीमिया:** एनीमिया मुक्त भारत के तहत पहल और पोषण अभियान हेतु सहायता, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक, कृमि मुक्ति, और माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता पर केंद्रित है।
- **वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया):** राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत, एंडेमिक क्षेत्रों में मलेरिया पर नियंत्रण हेतु इनडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग, लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जालों (एलएलआईएन) के वितरण, और रैपिड डायग्नोस्टिक किट के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ): छठी अनुसूची के राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) के लिए एनएचएम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

एनएचएम के तहत जारी निधियाँ

असम

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय निर्गत राशि**
2023-24	2,257.06
2024-25	2,076.25

मेघालय

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय निर्गत राशि**
2023-24	261.39
2024-25	297.95

मिज़ोरम

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय निर्गत राशि**
2023-24	134.42
2024-25	159.96

त्रिपुरा

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय निर्गत राशि**
2023-24	264.31
2024-25	268.67

नोट: उपरोक्त जारी निधियां केंद्रीय सरकारी अनुदान से संबंधित हैं और इनमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
